न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 81/2006

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 13/12/2006

निर्णय दिनांक : 13/11/2019

हरकू पत्नी घीसालाल पुत्री मांगू, जाति गुर्जर, निवासी भादरपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थीया

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गाडोता, पं.स. दूदू जिला जयपुर।
2. ग्यारसी बेवा मांगू, जाति गुर्जर, निवासी गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. सजना पत्नी गोगाराम पुत्री मांगू, जाति गुर्जर, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. मन्नी पत्नी नौरतमल पुत्री मांगू, जाति गुर्जर, निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. दीपा उर्फ लाली पत्नी सुवालाल पुत्री मांगू, जाति गुर्जर, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. संतोष पत्नी मंगल पुत्री मांगू, जाति गुर्जर, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
7. देवकरण पुत्र गोगाराम, जाति गुर्जर, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
8. तहसीलदारजी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— अप्रार्थीगण

स्थगन प्रार्थना–पत्र

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री त्रिलोकेश सिंह
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2, 5 व 6
अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय दिनांक 13/11/2019

– निर्णय –

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 543, 264 लगायत 267, 275, 296, 542/1, 544 कुल किता 09 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जो मृतक मांगू पुत्र भैरू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी, जिसके बेवा ग्यारसीदेवी के साथ पांच हरकू, सजना, मन्नी, संतोष व दीपा उर्फ लाली जायन्दा पुत्रीयां हैं। मांगू के स्वर्गवास के पश्चात उसका फौती नामान्तरकरण उसकी बेवा ग्यारसीदेवी व उसकी जायन्दा पांच पुत्रीयों के खुलना चाहिये था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पटवार हल्का व ग्राम पंचायत से साजकर अपने नाम खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर लिया जिसका फायदा उठाकर काफी आराजीयात विकय कर चुकी है तथा शेष बची हुयी अब विकय करने पर आमादा हैं। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 मृतक मांगू पुत्र भैरू की कानूनी वारिश है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनका हित निहित हैं। अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 29/04/1975 के विरूद्ध पेश की है, उक्त नामान्तरकरण जो न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत जाकर खोला गया है, जो विधि विरूद्ध है, इसलिये न्यायहित में ताफैसला अपील विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखा जाना आवश्यक है, इसलिये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में अन्त में दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 5, 7 को जरिये स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 543, 264 लगायत 267, 275, 296, 542/1, 544 कुल किता 09 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा न ही रहन, बेय, बख्शीश व हस्तान्तरण करें। इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद को व ग्राम पंचायत गाडोता को जरिये तहरीर सूचना भिजवायी जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। दिनांक 11.11.2019 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 11.11.2019 नियत की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 107 ग्राम पंचायत गाडोता का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि प्रार्थीया ने विवादित आराजी को पैतृक आराजी बताते हुये स्व0 मांगू पुत्र भैरू की खातेदारी में अपना हक व हिस्सा बताकर ना0स0 107 को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया है प्रकरण का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 107 दिनाक 29/04/1975 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज हुयी है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है, इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में यदि एक रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है, तो उसे अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्थगन खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीया का स्थगन प्रार्थना–पत्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 543, 264 लगायत 267, 275, 296, 542/1, 544 कुल किता 09 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner